॥ ओ३म् ॥

आचार्यकुलम् के विद्यार्थियों के लिए

" नियमावली "

परम पिता परमेश्वर द्वारा सम्पूर्ण सृष्टि के समस्त प्राणियों के कल्याण व उत्थान हेतु विभिन्न नियम व मर्यादा सुनिश्चित की है, जिन्हें वेदों में ऋत नियमों के रूप में भी जाना जाता है। सम्पूर्ण विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु अनुशासन है और **अनुशासन से बच्चों का तथा बच्चों से ही राष्ट्र का उत्थान सम्भव है**। अनुशासन से ही शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नति सम्भव है। वेदोक्त जीवन हमें निषेधपूर्वक मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा देता है। **"बन्धन में ही सृजन है"** अतएव नियमों एवं मर्यादाओं को बन्धन न मानकर अपने सृजन का मुख्य आधार मानें।

प्रस्तुत नियम आचार्यकुलम् में अध्ययनशील सभी ऋषिकुमार व ऋषिकुमारियों को और अधिक संवर्धित, परिष्कृत , सात्विक व संस्कारित करने हेतु प्रस्तुत है, जो सभी पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रूप से पालनीय हैं।

1. आचार्यकुलम् की दिनचर्या विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से पूर्ण स्वस्थ बनाकर स्वयं तथा समष्टि के लिए उपयोगी बनाने में प्राथमिक भूमिका निभाती है | अतः सभी अंतेवासियों को आचार्यकुलम् की दिनचर्या का श्रद्धा व निष्ठापूर्वक पूर्णतया पालन करना होगा ।
2. आचार्यकुलम् में प्रवेश लेते समय अभिभावकों द्वारा दी गई किसी भी सूचना अथवा तथ्यों में भविष्य में यदि कोई भी त्रुटि पाई जाती है या कोई तथ्य छिपाया या गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है तो इसके परिणामस्वरूप आचार्यकुलम् प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि विद्यार्थी को आचार्यकुलम् से निष्कासित अथवा दण्डित कर सकें।
3. सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि सभी आचार्यों एवं सेवाकर्मियों से सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। आपसी व्यवहार में भी वरिष्ठता का ध्यान रखें तथा वरिष्ठ विद्यार्थी कनिष्ठ विद्यार्थियों के साथ छोटे भाई-बहन जैसा प्रेमपूर्वक व्यवहार व सहयोग करें।
4. परस्पर व्यवहार का मुख्य साधन वाणी है। अतः ध्यातव्य रहे कि परस्पर विनोद के क्षणों में भी अमर्यादित वाणी तथा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग न करें। सभी विद्यार्थी आपस में संवाद करते समय आवश्यक रूप से भ्राता- जी, भगिनी जी संबोधन का ही प्रयोग

5. सभी विद्यार्थी सबसे ओ3म् (प्रणाम) बोलकर ही अभिवादन करेंगे | किसी का भी नाम संबोधित करते समय ''जी'' लगाकर बोलना होगा |
6. संस्थान के अनुशासन और गरिमा को हर समय बनाये रखना आवश्यक है |कोई भी विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी |
7. विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वैदिक संस्कृति के मुख्य प्रतीक चिन्हों यथा- **शिखा, सूत्र (यज्ञोपवीत)** का पूर्ण मनोयोग से सम्मान करेंगे एवं इन प्रतीकों को धारण करने में गौरव का अनुभव करते हुए अन्यों को धारण करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
8. वेदारम्भ संस्कार के समय सभी नवागंतुक विद्यार्थियों (बालक) का मुण्डन संस्कार किया जाता है जो सभी के लिए अनिवार्य होगा ।
9. संस्थागत उत्सव एवं ज्ञानवर्धक सत्र आदि में पेन-डायरी के साथ सभी विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
10. विद्यार्थियों का सर्वाङ्गीण विकास हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यहाँ विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि किस प्रकार वे योग, यज्ञ, आयुर्वेद तथा सात्त्विक व पौष्टिक आहार पर आधारित स्वदेशी सात्विक जीवन पद्धति का अनुसरण करें। स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि अभिभावकों का रुझान भी इस विषय की ओर हो ।
11. योग, यज्ञ, कक्षाओं एवं खेल-कूद के समय आचार्यकुलम् द्वारा प्रदत्त निर्धारित गणवेश ट्रैक-सूट, टी-शर्ट आदि ही धारण करें।
12. पोशाक संहिता का पालन करें-

    आचार्यकुलम् परिसर या छात्रावास में छात्र-छात्राएं सजगतापूर्वक इस बात का ध्यान रखें कि वस्त्रों के रूप में भारतीय परिधान ही प्रयोग करें तथा संस्थान द्वारा प्रदत्त वस्त्रों को ही धारण करें ।अशोभनीय वस्त्रों (बिना बाजू के वस्त्र ,छोटे-वस्त्र, जींस और अशोभनीय शब्द लिखे हुए पश्चिमी पहनावा स्वीकार्य नहीं है। प्लेन टी शर्ट तथा प्लेन ब्लैक और नेवी ब्लू लोअर ही मान्य है |
13. **" प्रमादो मृत्युः"** आलस्य व प्रमाद को मृत्यु, पुरुषार्थ को परम मित्र की तरह माने। स्वस्थ तन-मन और बुद्धि के लिए योग और यज्ञ अत्यंत आवश्यक है| अकरणीय कार्यों में एक बार भी प्रवृत्त नहीं होना है | प्रमाद, नकारात्मकता व अनुत्पादकता से दूर रहकर पुरुषार्थ, आत्मगौरव एवं उत्पादकता में प्रतिपल जीने का पूर्ण प्रयास करें।।
14. आचार्यकुलम् परिसर के अन्दर व बाहर परस्पर किसी के ऊपर हाथ उठाना तथा चारित्रिक अशुचिता अक्षम्य अपराध है, । परिसर में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार केअवांछित/अशोभनीय/ अमर्यादित कृत्य / विवाद या मारपीट की स्थिति में संलिप्तता पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक दंड या अर्थदंड के रूप में कार्यवाही की जायेगी। ऐसी स्थिति में विद्यालय से निष्कासन का निर्णय भी लिया जा सकता है |
15. इच्छा ना होते हुए भी करने योग्य कार्य में आलस्य नहीं तथा इच्छा होने पर भी अकरणीय कार्य में प्रवृत्त नहीं होना है |
16. भगवद् गीता के 16 वें अध्याय में वर्णित दैवी सम्पद् के 26 गुणों अर्थात् **दैवी सम्पद्** के अनुरूप आचरण करना, एक बार भी आसुरी सम्पद् का आचरण नहीं करना।
17. हम सब एक ईश्वर की संतान हैं अत: हम सब समान हैं | इसलिए एक बार भी जातिसूचक शब्द (सरनेम) या किसी भी प्रकार से भावनात्मक दुःख पहुँचाने वाले शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है | क्षेत्रवाद, भाषावाद, वंशवाद, शारीरिक संरचना, रंग-रूप व परिधान इत्यादि विषयों के आधार पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी, भेद-भाव तथा वाद-विवाद दण्डनीय है।

18. प्रकृति प्रदत्त और मानव द्वारा निर्मित सभी संसाधनों के प्रयोग में सावधानी रखें | **बिजली व पानी का दुरुपयोग न करें**, किसी भी कक्ष से निकलते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि पंखा, ट्यूब लाईट आदि सभी विद्युत उपकरण तथा दरवाजे व खिड़कियां ठीक प्रकार से बन्द हो, इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर पालन करें।
19. आचार्यकुलम् परिसर में किसी भी विद्यार्थी के द्वारा अनाधिकृत रूप से मोबाइल, कैमरा, रिकॉर्डर, वीडियो यंत्र, ऑडियो यंत्र, डिजिटल वॉच, ब्लुटूथ इत्यादि का लाना या प्रयोग करना पूर्णतया निषिद्ध है, यदि उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो सामान जमा करके कठोरतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा जमा सामान भविष्य में कभी भी लौटाया नहीं जाएगा ।
20. सभी विद्यार्थियों को स्मरण रहे की यात्रा, विशेष कक्षाओं ,अतिरिक्त कार्यों (सांस्कृतिक) आदि में साथ ले जाने वाले मोबाइल आदि वस्तुओं को निर्धारित समय पर वार्डन कार्यालय में, अपने नाम से जमा कराना अनिवार्य है|
21. विद्यार्थियों को कक्षाओं और अन्य गतिविधियों के दौरान विधार्थियों को प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए विद्यार्थियों को बिना निर्धारित प्राधिकरण की अनुमति के सीधे प्राचार्या और उच्च अधिकारियो से सम्पर्क नहीं करना चाहिए |
22. आचार्यकुलम के सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि 'राष्ट्र धर्म सर्वोपरि" मानते हुए वस्तु क्रय में स्वदेशी उत्पादों का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रबुद्ध जनों को भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें | यात्रा के दौरान अनुचित वयवहार से बचे और अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए अनुशासन बनाये रखें |यह भी सुनिश्चित करे की ऐसे किसी भी अनुचित कार्य में संलग्न न हो जिससे विद्यालय की प्रतिष्ठा पर आंच आए |
23. सभी विद्यार्थी आचार्यकुलम् परिसर/छात्रावास में लगे सूचनापट्ट (नोटिस बोर्ड, जिससे आपको सभी सूचनाएं प्राप्त होती हैं), को जागरुकता पूर्वक प्रतिदिन देखने का अभ्यास बनाएं। जिससे समय- समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहें।
24. यदि आप या आपका सहपाठी किसी भी प्रकार की संक्रमित बीमारी से ग्रस्त है तो तुरन्त छात्रपाल को सूचित करना अनिवार्य है। किसी भी साथी की रुग्णावस्था में सहानुभूति व प्रेमपूवर्क उसका ध्यान रखें एवं उसका सहयोग अपेक्षित है।
25. कोई भी विद्यार्थी सुझावों हेतु छात्रपाल/छात्रावास पर्यवेक्षक से सहायता, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। उचित सुझाव को छात्रपाल/छात्रावास पर्यवेक्षक द्वारा अनुशासन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।
26. छात्रावास में शांत वातावरण को नियमों के द्वारा बनाकर रखा जायेगा| छात्रावास आवंटन छात्रावास प्रबन्धन द्वारा किया जाएगा तथा प्रत्येक कक्ष के लिए आवश्यक फर्नीचर आदि की व्यवस्था प्रदान करेगा, जिसमें एक बेड-बॉक्स ,गद्दा, मेज, कुर्सी,अलमारी सम्मिलित है।
27. शैक्षणिक वर्ष के लिए विद्यार्थियों को आवंटित कक्ष, विशेष स्थितियों को छोड़कर नहीं बदले जाएंगे तथा कक्ष के आवंटन के लिए मुख्य अधिकारी का निर्णय ही मान्य होगा ।
28. विद्यार्थी कक्ष, शौचालय, बाह्य एवं आन्तरिक परिसर को सुन्दर एवं स्वच्छ रखने मे सहयोग करेंगे।। दीवारों पर कुछ लिखना, विज्ञापन, पोस्टर , चित्र व कटिंग आदि चिपकाना और
29. एसी की रोड ,ट्यूब लाइट, परदे की रोड आदि पर कोई सामान टांगना पूर्ण वर्जित है ।
30. विद्यार्थियों को छात्रावास छोडने से पहले "चेक आउट" फॉर्म जमा करके छात्रावास अधिकारियों से अनुमति तथा गेटपास प्राप्त कर सुरक्षा अधिकारी को सौंपना अनिवार्य है।
31. विद्यार्थी को आबंटित स्थान के अलावा किसी अन्य ब्लॉक, और फ्लोर व कक्ष में बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है।

32. विद्यार्थियों को छात्रावास के अंदर किसी भी पार्टी (जैसे -जन्मदिन,गोष्ठी, शोर मचाना, उच्च स्वर में वार्तालाप, वाद-विवाद व गाना गाने आदि) की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी विद्यार्थी ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर 500/- रु० का अर्थदण्ड देय होगा।
33. विद्यार्थियों से छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने और अन्य साथी विद्यार्थियों की असुविधा का कारण न बनने की अपेक्षा है। इस संबंध में रात्रि 09:00 बजे से प्रातः यज्ञ पर्यन्त "मौन साधना" का समय माना जाता है और सभी से उपरोक्त समय मौन रखने की अपेक्षा की जाती है। शयनकालीन प्रार्थना में सभी अन्तेवासियों की उपस्थिति 100% अनिवार्य है।
34. सभी अंतेवासियों को संभाषण के दौरान निर्धारित समय में **संस्कृतम्** **तथा** **अंग्रेजी भाषा** का प्रयोग करना अनिवार्य।
35. आचार्यकुलम् परिसर में प्रवेश के समय निरीक्षक अधिकारी द्वारा विद्यार्थीयों के सामान की जाँच अवश्य ही की जाएगी ।
36. आचार्यकुलम् संस्थान में संपत्ति की क्षति या हानि के मामले में लागत की प्राप्ति जिम्मेदार विद्यार्थी या सम्बन्धित सभी विद्यार्थियों से की जायेगी।
37. आचार्यकुलम् परिसर में किसी भी कक्ष / विद्यार्थी का किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है।
38. बिजली के उपकरणों जैसे कि केटल, आयरन का उपयोग निवास के लिए आवंटित किसी भी कक्ष में वर्जित है। विद्यार्थी के कक्ष में खाना पकाना वर्जित है। उपरोक्त उपकरण, पाए जाने पर जब्त कर लिए जाएंगे और आर्थिक दण्ड भी देय होगा ।
39. बाथिंग एरिया में किसी भी संपत्ति (कुर्सी-मेज़ आदि) को ले जाने की कोई अनुमति नहीं है । कॉरिडोर में सामान डालकर अव्यवस्था फैलाने पर छात्रपाल द्वारा कार्यवाही की जाएगी । बाहर बैठने के लिए योगा मेट का ही प्रयोग करे |
40. गीले /भीगे वस्त्रों को यथास्थान पर ही सुखाने के लिए फैलाएं, सार्वजनिक स्थानों पर व कक्ष में इधर-उधर दरवाजों, टेबल, पर्दा रोड व ए.सी. तथा ट्यूब लाइट आदि के सामने नहीं सुखाएंगे ।
41. विद्यार्थियों को किसी भी प्रिय/ अप्रिय घटना की सूचना दीदी\भैया\छात्रपाल /छात्रावास प्रबन्धन को देनी होगी।
42. छात्रावास प्रबंधन छात्रावास विज्ञापन बोर्ड पर प्रदर्शित सामान्य परिपत्रों के माध्यम से विद्यार्थी को सूचित करते हुए समय-समय पर उपरोक्त नियमों को बदलने का अधिकार रखता है।
43. आचार्यकुलम् में गुटबाजी या अन्य प्रकार से एकत्रित होकर अनुशासनहीनता करने वाले सभी छात्रों पर सामूहिक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । छात्रों द्वारा संस्थान/परिसर या छात्रावास में किसी प्रकार के हथियार डंडा, रोड, हॉकी इत्यादि रखना पूर्णतः वर्जित है तथा पाए जाने पर कठिनतम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।
44. छात्रावास में सभी विद्यार्थी एक-दूसरे के अध्ययन, एकांत, विश्राम का ख्याल रखते हुए शांति बनाए रखेंगे किसी भी प्रकार का शोर इत्यादि नहीं करेंगे । आदतन शोर एवं अशांति फैलाने वाले विद्यार्थियों को दंडित किया जाएगा ।
45. सभी विद्यार्थी खेलने के लिए निर्धारित स्थान व ग्राउंड का प्रयोग करेंगे , छात्रावास कॉरिडोर तथा कमरों में खेलना पूर्णतया निषिद्ध है, ऐसी स्थिति में खेल सामग्री जमा कर ली जाएगी तथा यथा उचित कार्यवाही की जाएगी ।

46. समय - समय पर छात्रावास अधीक्षकों तथा निरीक्षण टीम द्वारा छात्रों के कमरों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है जिसमें छात्रों के कमरे गंदे या अस्त-व्यस्त पाये जाने पर आर्थिक दंड व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा अपना सामान,कक्ष और छात्रावास स्वच्छ और व्यवस्थित रखने पर प्रोत्साहित भी किया जायेगा |
47. छात्रावास अधीक्षक तथा अन्य गुरुजन माता-पिता की तरह होते हैं अतः विद्यार्थियों को उनके समस्त निर्देशों व मार्गदर्शन को सकारात्मकता और गंभीरता से मानना चाहिए |
48. विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर अनुशासन समिति द्वारा निर्धारित दंड दिया जायेगा,जिसमें अर्थदंड,निलंबन, निष्कासन और श्रमदंड आदि हो सकता है | यदि कोई विद्यार्थी अनुशासनहीनता करता है या किसी अवांछित क्रिया को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से छिपाने का प्रयास करता है या अन्य विद्यार्थी का सहयोग करता है तब उस पर भी दण्ड आरोपित होगा तथा ऐसा करने वाले विद्यार्थियों का शुल्क वापिस नहीं होगा और चरित्र-प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जायेगा |
49. आप यह स्वीकार करते हैं कि आपने आचार्यकुलम् की संस्थागत **नियमावली** को सहजता व विवेकपूर्वक पढ़कर उस पर स्वेच्छा से अपनी सहमति प्रदान की है तभी आप अग्रलिखित घोषणापत्र को भरेंगे |

घोषणा पत्र

मैंने उपरोक्त नियमों व उप नियमों को भली भांति प्रकार से पढ़कर समझ लिया है ।

मैं..... उपरोक्त समस्त नियमों व उपनियमों का पालन करने का वचन देता\ देती हूं ।

मैं .....यह जानता /जानती हूं कि उपरोक्त नियमों उपनियमों में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे पुत्र/ पुत्री..... पर आर्थिक दंड अथवा निलंबन या निष्कासन की अनुशासनात्मक कार्यवाही आचार्यकुलम् प्रशासन द्वारा की जाएगी ।

मैं पूर्ण जिम्मेदारी से यह पूरी नियमावली अपने पास रखूंगा एवं समय-समय पर इसे पढ़कर उपरोक्त विषय के अनुसार कार्यशील रहूंगा/ रहूंगी ।

माता/ पिता (हस्ताक्षर) विद्यार्थी (हस्ताक्षर)

नाम..... नाम.....

पता..... कक्षा.....

आई डी.....

मो०..... पता.....

Email.....